उपायुक्त का कार्यालय (जिला आपूर्ति शाखा), गिरिडीह।

मुख्यमंत्री दाल भात केन्द्र के लिए खाद्यान्न आपूर्ति हेतु

अल्पकालीन निविदा संबंधी सूचना

जिले के मुख्यमंत्री दाल-भात योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मुख्यमंत्री दाल-भात योजना केन्द्रों में चावल, चना एवं सोयाबड़ी आपूर्ति करने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है, जो भी फर्म उपरोक्त खाद्य सामाग्रियों का थोक/खुदरा विक्रय करते हों वे निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा दो अलग-अलग लिफाफे में देना होगा जिसमें पहला लिफाफा तकनीकी का होगा एवं दूसरा वित्ती निविदा का। उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर उसपर बड़े-बड़े साफ अक्षरों में *"मुख्यमंत्री दाल भात योजना- खाद्यान्न आपूर्ति हेतु निविदा 2017-18"* अंकित करना होगा तथा निविदादाता फर्म का नाम पता पर अंकित करना होगा। सभी शर्तो को पूर्ण करते हुए निविदा दिनांक 17.03.2017 को 01.00 अप0 तक जिला आपूर्ति कार्यालय,गिरिडीह में डाला जा सकता है। सभी निविदा उसी दिन संध्या 03.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा की शर्तेः-

1. **तकनीकि निविदाः-** इस लिफाफे में निम्नांकित कागजात रखे जाएगें।
   1. कृषि उत्पादन बाजार समिति में निबंधित होने संबंधी प्रमाण -पत्र।
   2. वाणिज्य कर निबंधन संबंधित कागजात, जिसमें संबंधित खाद्यान्न के क्रय-विक्रय कार्य का उल्लेख हों। (टीन नम्बर के साथ)
   3. थोक अथवा खुदरा खाद्यान क्रय-विक्रय का अपना दुकान एवं तत्संबंधी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र।
   4. जमानत राशि के रूप में 50000.00 (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पदनाम से संलग्न करना होगा।
   5. विगत् दो वर्षो का आयकर एवं विक्री कर स्वच्छता प्रमाण-पत्र।
   6. चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अपेक्षित होगा।
   7. जिले के स्थानीय बिक्रेता को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. **वित्तीय निविदाः-**
   1. इस लिफाफे में चना, चावल एवं सोयाबड़ी का दर अलग-अलग प्रति क्विंटल अंकित करना होगा।
   2. सभी सामग्री का नमूना लगभग 50 ग्राम छोटे पैकेट में मुंहरबंद कर वित्तीय निविदा के साथ समर्पित करना होगा।

3. अन्य शर्तेः-

1. निविदा स्वीकृति के उपरान्त अस्वीकृत निविदादाताओं को जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा ।
2. निविदा स्वीकृति की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक माह के 03 अथवा 05 तारीख को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की उपस्थिति में संबंधित दाल-भात केन्द्र के संचालक को खाद्यान आवंटन के अनुरूप उपलब्ध कराना होगा ।
3. दाल-भात संचालक केंद्र तक खाद्यान परिवहन का व्यय आपूर्तिकर्त्ता को वहन करना होगा । इसके लिए अलग से कोई राशि देय नही होगी ।
4. खाद्यान आपुर्ति के प्रमाण स्वरूप चालान निर्गत करना होगा जिसपर प्रखंड आपुर्ति पदाधिकारी, संबंधित आपूर्तिकर्त्ता एवं दाल-भात केन्द्र संचालक का हस्ताक्षर अंकित रहेगा ।
5. प्रत्येक माह में आपूर्ति किये गये खाद्यान का विपत्र अगले माह के 05 तारीख तक उक्त चालान को संलग्न करते हुए जिला आपूर्ति कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा ।
6. किसी भी समय निविदा बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत अथवा रदद् करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
7. समय-समय पर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, झारखंड सरकार/उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा।
8. विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ही विपत्र का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा ।
9. निविदा स्वीकृति के उपरान्त निविदादाता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

07.03.18

उपायुक्त, गिरिडीह।